न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या–49/2019

उनवान

प्यारेलाल बनाम हरिसिंह वगै0

1. प्यारेलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी दड़िया का बास तन सीगड़ा तहसील व जिला झुन्झुनू।

–वादी

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जाट निवासी दड़िया का बास तन सीगड़ा तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. मनेश पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी दड़िया का बास तन सीगड़ा तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. राजेन्द्र पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी दड़िया का बास तन सीगड़ा तहसील व जिला झुन्झुनू।
4. शुभकरण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी दड़िया का बास तन सीगड़ा तहसील व जिला झुन्झुनू।
5. शान्ति स्त्री श्योलाल जाति जाट निवासी दड़िया का बास तन सीगड़ा तहसील व जिला झुन्झुनू।
6. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महरादासी जिला झुन्झुनू शाखा प्रबन्धक।
7. तहसीलदार भू0अभि0, झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री राजेश पूनियां :– वादी की ओर से।
2. श्री विजेन्द्र :– प्रतिवादीगण की ओर से।

दिनांक :– 24.05.2022

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जमीन हाल खसरा नम्बर 36 रकबा 4.81 है0, खसरा नम्बर 108 रकबा 3.04 है0, खसरा नम्बर 116 रकबा 3.29 है0 सरहद राजस्व ग्राम दड़िया का बास पटवार हल्का सीगड़ा में स्थित है। जमाबंदी सम्वत 2062–2065 के मुताबिक उक्त जमीन वादी प्यारेलाल की खातेदारी में दर्ज है। जमीन हाल खसरा नम्बर 37 रकबा 2.30 है0, खसरा नम्बर 38 रकबा 2.49 है0, खसरा नम्बर 107 रकबा 3.05 है0, खसरा नम्बर 117 रकबा 3.29 है0 सरहद राजस्व ग्राम दड़िया का बास पटवार हल्का सीगड़ा में स्थित है। जमाबंदी सम्वत 2062–2065 के मुताबिक उक्त जमीन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम हक हिस्सा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त जमीन का दौराने सेटलमेंट भौतिक कब्जा काश्त के मुताबिक रिकार्ड नहीं बना इस कारण वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष रिकार्ड दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत रिपोर्ट तहसीलदार एवं पटवारी से प्राप्त की गई। राजस्व कर्मचारियों को वास्तविक भौतिक

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

कब्जा काश्त के मुताबिक व तहसीलदार व पटवारी हल्का एवं माननीय न्यायालय के पत्र के मुताबिक खसरा नम्बर 150/36 के पूर्वी हिस्से की 1.15 है0 जमीन का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 से 5 के नाम दर्ज होना चाहिए व पश्चिम हिस्सा की 1.35 है0 जमीन का राजस्व रिकार्ड वादी प्यारेलाल के नाम दर्ज होना चाहिए था। इसी प्रकार खसरा नम्बर 36 में से पूर्वी दिशा की 1.15 है0 जमीन वादी प्यारेलाल के तथा पश्चिम दिशा की 1.16 है0 भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 के नाम दर्ज होनी चाहिए तथा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड कायम होना चाहिए। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी डिक्री किया जाकर जमीन हाल खसरा नम्बर 150/36 रकबा 2.50 है. वाके दडिया का बास में से पश्चिमी दिशा की 1.35 है0 जमीन का एवं खसरा नम्बर 36 रकबा 2.31 है. दडिया का बास में से पूर्वी दिशा की 1.15 है. जमीन का खातेदार वादी प्यारेलाल को घोषित किया जावे। जमीन हाल खसरा नम्बर 150/36 रकबा 2.50 है0 वाके दडिया का बास पटवार हल्का सीगडा में से पूर्वी दिशा की 1.15 है0 जमीन मे से व खसरा नम्बर 36 की पश्चिम दिशा की 1.16 है0 जमीन में से प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 प्रत्येक का 1/8 हक हिस्से एवं प्रतिवादी नम्बर 1 को 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जमीन हाल खसरा नम्बर 150/36 व 36 का वाद पत्र की धारा 15 क व ख में वर्णित हक हिस्से अनुसार अलग विभाजन किया जाकर उक्तानुसार नक्शासीट व राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

विवेचन

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत समन/तलवाने पर प्रतिवादीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर राजीनामा पेश किया जाकर वादी पत्र की धारा 15 क, ख व ग के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा वाद पत्र की धारा 15 क, ख व ग के अनुसार है। अतः न्यायहित में न्यायालय मत पर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

निर्णय

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादपत्र की धारा 15 क, ख व ग के अनुसार मुताबिक राजीनामा स्वीकार करने का निर्णय लिया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय सुना गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

(26)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

न्यायालय उपखंड अधिकारी,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 49/2019

उनवान

प्यारेलाल बनाम हरिसिंह वगै0

दावा बाबत :– घोषणा, विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती

दिनांक :– 24.05.2022

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश पूनिया, प्रतिवादीगण की ओर से श्री विजेन्द्र उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 24.05.2022 को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद पत्र की धारा 15 क, ख व ग के अनुसार मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	**रूपया**	**प्रतिवादी**	**रूपया**
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	1
स्टाम्प वकालतनामा	26	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनाम	
बाबत इजराय हुक्मनाम		मुतफरिक	
योग	30		1

उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)